रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082023-248064 CG-DL-E-12082023-248064

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577] No. 577] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SHRAVANA 20, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

फा. सं. एल–1/261/2021/केविविआ.—चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (इसके बाद जीएनए विनियम) को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग–III, खंड–4, सं.364) में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित किया गया था;

चूंकि, जीएनए विनियमों के विनियम 1.2 में उपबंध है कि ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और विभिन्न विनियमों के आरंभ के लिए पृथक तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं;

चूंकि, जीएनए विनियमों के कुछेक उपबंध भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III खण्ड—4, संख्या 520) में दिनांक 14.10.2022 की अधिसूचना के अनुसार 15.10.2022 से प्रभावी हो गए थे;

चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर—राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (इसके बाद 'प्रथम संशोधन विनियम') को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग—III, खंड—4, सं. 229) में दिनांक 06.04.2023 को प्रकाशित किया गया था;

चूंकि, प्रथम संशोधन विनियम के कुछेक उपबंध और जीएनए विनियम के कुछेक उपबंध भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III खण्ड—4, संख्या 230) में दिनांक 06.04.2023 की अधिसूचना के अनुसार 05.04.2023 से प्रभावी हो गए थे;

और अब, इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है किः

(क) प्रथम संशोधन विनियमों सहित जीएन विनियमों के शेष विनियम दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी होंगे। 5220 GI/2023

(ख) दिनांक 01.10.2023 से विद्युत का अनुसूचीकरण और प्रेषण प्रत्येक निर्दिष्ट आईएसटीएस ग्राहकों (डीआईसी) के जीएनए, जीएनए_{आरई}, टी—जीएनए और टीजीएनए_{आरई} और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार ग्रिड अन्य उपयोगकर्ताओं की मात्रा पर आधारित होगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./359/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2023

F. No. L-1/261/2021/CERC.—Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter GNA Regulations) was published on 19.7.2022 in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 364);

Whereas, the Regulation 1.2 of the GNA regulations provides that the regulations shall come into force from the date to be notified by the Commission and different dates may be appointed for commencement of different regulations;

Whereas certain provisions of GNA Regulations were made effective from 15.10.2022 as per Notification dated 14.10.2022, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 520);

Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023 (hereinafter 'First Amendment Regulations') was published on 06.04.2023 in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 229);

Whereas certain provisions of the First Amendment Regulations and certain provisions of GNA Regulations were made effective from 05.04.2023 as per Notification dated 06.04.2023, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 230);

And now, therefore, it is notified that:

- (a) The remaining Regulations of GNA Regulations including First Amendment Regulations shall come into effect from 01.10.2023;
- (b) Scheduling and Despatch of electricity with effect from 01.10.2023 shall be based on quantum of GNA, GNA_{RE}, T-GNA and T-GNA_{RE} of each of the Designated ISTS Customers (DICs) and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./359/2023-24]